तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.63/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस ...म की ...लमें जारी हुए

28.8.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी प्रतापराम पुत्र मोतीलाल जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.1.2024 को मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना संख्या S-2290 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./133/Act/2024/179 दिनांक 08.2.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.8.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म व गलती स्वीकार की। जिस पर प्रतिवादी प्रतापराम को दिनांक 28.8.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने दूध में कोई मिलावट नही की है व गांवों में से दूध क्रय कर बेचता है। उसका व्यापार छोटा है, भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का उपयोग नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 24.1.2024 को मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता की दुकान के अन्दर फ्रीजर में एक केन में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Mix Milk लगभग 25 लीटर में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवणसिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम पुत्र मोतीलाल जी माली को भरकर दी एवं गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में Mix Milk को हिला मिलाकर उसमें से 2 लीटर Mix Milk को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा Mix Milk को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक ... में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.63/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Mix Milk की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.1.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 24.1.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज में प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम से खाद्य पदार्थ Mix Milk को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk के नमूना संख्या S-2290 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./133/Act/2024/179 दिनांक 08.2.2024 में खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रतापराम ने अमानक खाद्य पदार्थ Mix Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। .....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

पीठा. जिला कलेक्टर सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.63/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता प्रतापराम पुत्र मोतीलाल जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रतापराम पुत्र मोतीलाल जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स न्यू प्रताप मिल्क विक्रेता, भावरी रोड़, क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested